

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. निदेशक,

उच्च शिक्षा,

उ0प्र0, प्रयागराज ।

2. कुलपति,

समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 08 फरवरी, 2021

विषय:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 5240/सत्तर-3-2020 दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप लगभग 150 विषय विशेषज्ञों द्वारा राज्य स्तरीय समिति एवं राज्य संकायवार सुपरवाजइरी समितियों के साथ 200 से अधिक वर्चुअल बैठकों के माध्यम से चर्चा कर पाठ्यक्रमों को तैयार कर लिया गया है तथा सभी हितधारकों की राय जानने के लिए उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट (<http://uphed.gov.in/page/council/en/nep-2020>) पर उसे उपलब्ध कराया गया है। उचित फीडबैक एवं सुझाव को सम्मिलित करते हुये अन्तिम पाठ्यक्रम इस माह के अन्त तक विश्वविद्यालयों को भेजा जाना प्रस्तावित है, ताकि वे विद्या परिषद, कार्यपरिषद आदि में इस पर विचार करके तथा इसमें आवश्यकतानुरूप अधिकतम 30 % तक परिवर्तन कर आगामी सत्र (1 जुलाई, 2021) से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में नये पाठ्यक्रमों का संचालन सुनिश्चित कर सकें।

2- प्रथम फेज में स्नातक स्तर के कला एवं मानविकी के 16, भाषा के 04, विज्ञान के 09, वाणिज्य, बी0एड एवं प्रबन्धन के सभी विषयों के साथ-साथ 06 अनिवार्य विषयों के पाठ्यक्रम भी वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिये गये हैं। अभी तक 202 फीडबैक प्राप्त हुए हैं (सूची संलग्न) जिनपर विषय विशेषज्ञ समूहों द्वारा विचार किया जा रहा है।

3- स्नातक कार्यक्रमों की समेकित संरचना हेतु कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबन्धन, कानून और कृषि के संकायों की समस्त उपाधियाँ (डिग्रियाँ) इस संरचना में सम्मिलित हैं, जैसे- बी.ए., बी.एससी., बी.एससी. (कृषि), बी.कॉम., बी.बी.ए., बी.ए.एल.एल.बी., बी.ए.बी.एड. आदि। इस संरचना में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा और अन्य राज्य/राष्ट्रीय नियामक निकायों द्वारा विनियमित अन्य तकनीकी विषयों को सम्मिलित नहीं किया गया है। छात्रों का

Co-ordinator
IQAC

Gandhi Faiz-e-Aam College
Shanahanpur



PRINCIPAL
Gandhi Faiz-e-Aam College
Shanahanpur

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु सुझाव

विशेषताएँ:-

- लचीलापन लाना (व्यावहारिक सुगमतापूर्ण)
- स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रमों की योजना बनाना
- किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश लेने सम्बन्धी विकल्प
- बहुविषयक दृष्टिकोण
- विभिन्न कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की पुनः संरचना करना
- क्रेडिट की हस्तांतरणीयता
- अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ए बी सी)

स्नातक/परास्नातक कार्यक्रमों की समेकित संरचना

- इस आलेख में कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, कानून और कृषि के संकाय सम्मिलित हैं। इन संकायों की समस्त उपाधियाँ (डिग्रियाँ) इस संरचना में सम्मिलित हैं। जैसे- बी.ए., बी.एससी., बी.एससी. (कृषि), बी.कॉम., बी.बी.ए., बी.ए.एल.एल.बी., बी.ए.बी.एड. आदि। एम.ए., एम.एससी. एम.एससी. (कृषि) एम. कॉम., एम.बी.ए., एल.एल.एम., एम.एड. आदि। यह संरचना इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा और अन्य राज्य / राष्ट्रीय नियामक निकायों द्वारा विनियमित अन्य तकनीकी विषयों को सम्मिलित नहीं करती है।
- छात्रों का लक्षित आयु समूह 18-23 वर्ष है, लेकिन यह जीवन में किसी भी आयु में किसी भी आग्रही व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करती है।
- 12 वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा कार्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक छात्र को प्रथम वर्ष के लिए दो मुख्य (Major) विषयों के साथ एक संकाय का चुनाव करना होगा। इस चुनाव के लिए संकाय विशेष के सन्दर्भ में पूर्व पात्रता (pre-requisites) की आवश्यकता होगी। दो प्रमुख विषयों के अलावा उन्हें प्रत्येक सेमेस्टर में किसी भी अन्य संकाय के एक और मुख्य (Major) विषय का चुनाव करना होगा। इसके साथ ही एक गौण विषय किसी अन्य संकाय से, एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम अपनी अभिरुचि के अनुसार तथा एक आवश्यक सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा। स्नातक कार्यक्रम के पहले तीन वर्षों में 06 सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने हैं जो कि प्रत्येक 02 क्रेडिट के होंगे। यह पाठ्यक्रम सभी स्नातक के छात्रों के लिए उपलब्ध एवं अनिवार्य होंगे। इन सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा ओ0एम0आर0 शीट द्वारा बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर होगी।

पाठ्य-सामग्री (Syllabus)

- सभी कार्यक्रमों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक विषय में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एक सामान्य न्यूनतम पाठ्यक्रम (Common Minimum Syllabus) होगा।
- विश्वविद्यालयों में पाठ्य समितियों (Boards of Studies) को इस सामान्य न्यूनतम पाठ्यक्रम में निर्धारित न्यूनतम 70% के साथ अपना पाठ्यक्रम (Syllabus) विकसित करना होगा। अधिकतम को कोई सीमा नहीं है।


 Co-ordinator
IQAC
 Gandhi Faiz-e-Aam College,
 Shahjahanpur




 PRINCIPAL
 G.F. COLLEGE
 SHAHJAHANPUR

- आगे आने वाले सेमेस्टर में प्रश्न-पत्रों का पाठ्यक्रम (Syllabus) उत्तरोत्तर जटिल एवं अनंत सम्भावना युक्त होना चाहिए।
- सभी सेमेस्टर में प्रश्न-पत्रों के शीर्षक व कार्यक्रम संरचना सभी कक्षाओं/वर्षों में, समस्त विश्वविद्यालयों में समान होगा। यह प्रक्रिया विश्वविद्यालयों के मध्य एकरूपता और सुचारु स्थानांतरण के लिए है।

च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS)

- एक सेमेस्टर में कम से कम 15 सप्ताह होंगे, जिसमें कम से कम 90 शिक्षण दिवस होंगे।
- एक क्रेडिट प्रति सप्ताह एक घन्टे के व्याख्यान (प्रायोगिक कार्य के लिए 2 घण्टे) के बराबर है, यथा- चार क्रेडिट का पाठ्यक्रम एक सेमेस्टर में कुल 60 घण्टे के व्याख्यान के बराबर होगा। जैसा कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद द्वारा तय किया जायेगा, प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत होगा।
- उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय से उत्तर प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय को क्रेडिट के हस्तांतरण की अनुमति अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ए बी सी) में माध्यम से दी जायेगी, जिसे प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने डाटा सेन्टर द्वारा प्रबंधित करेगा।
- साधारणतया पेपर उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक होंगे तथा वर्षोपरान्त उपाधि प्राप्त करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट होंगे। जैसे कि एक वर्षीय सर्टिफिकेट के लिए न्यूनतम 46 क्रेडिट, दो वर्षीय डिप्लोमा के लिए न्यूनतम 92 क्रेडिट तथा स्नातक डिग्री के लिए 138 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। ऐसे ही आगे के वर्षों के लिए तालिका में निर्धारण दिया हुआ है।
- कुल मूल्यांकन = 75% बाह्य (विश्वविद्यालय परीक्षा द्वारा)+25% आन्तरिक (सतत मूल्यांकन)।
- वर्ष के अन्त में परिणाम मेजर, माइनर, वोकेशनल व को-करिकुलर सभी प्रकार के कोर्स पर आधारित होगा। सभी प्रकार के कोर्स को उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा अंतिम परिणाम जो कि CGPA के रूप में होगा, सभी कोर्स में अर्जित ग्रेड्स पर निर्भर करेगा। किन्तु, वर्ष के अन्त में उपाधि हेतु कुल अर्जित क्रेडिट में कुछ क्रेडिट की छूट होगी।

Co-ordinator
IQAC
Gandhi Faiz-e-Aam College
Shahjahanpur



PRINCIPAL
G.F. COLLEGE
SHAHJAHANPUR



महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली
Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly

सेवा में
समस्त प्राचार्य/ प्राचार्या,
सम्बद्ध महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय,
बरेली

दिनांक: 31-07-2021

विषय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 (NEP-2020) के अनुरूप सत्र 2021-22 में स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में सुझाव/दिशानिर्देश

महोदय/ महोदया,

आगामी सत्र 2021-22 में समस्त प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं उक्त के सन्दर्भ में शासन द्वारा निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अनुरूप संपन्न कराई जानी है। शासन द्वारा निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा विस्तृत सुझाव / दिशानिर्देश इस आशय से संगलन किये जा रहे हैं, कि उक्त सुझाव/ दिशानिर्देशों के अनुरूप ही समस्त महाविद्यालय त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश सुनिश्चित करेंगे।

(डा. राजीव कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : -

1. समस्त संकायाध्यक्ष /विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय परिसर
2. समस्त प्राचार्य /प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालय
3. प्रमारी वेबसाइट को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. वैयक्तिक सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ

Co-ordinator
IQAC
Gandhi Faiz-e-Aam College
Shahjahanpur



PRINCIPAL
G.F. COLLEGE
SHAHJAHANPUR



महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली
Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly

**SUGGESTIVE GUIDE LINES FOR SEMESTER-BASED
IMPLEMENTATION MODEL FOR UNIVERSITY AND
AFFILIATED COLLEGES**

M. J. P. Rohilkhand University will adopt the semester system in Undergraduate courses as per directives of Higher Education Department, Uttar Pradesh Government to accelerate the teaching-learning process and enable vertical and horizontal mobility in learning from academic session 2021-22. The choice based credit system as well as semester system will provide flexibility in designing curriculum and assigning credits based on the course content and hours of teaching. The common minimum syllabus has been approved by the government in many courses and remaining courses are also in the process of being updated, which shall be adopted by the University through the prescribed statutory process as per directives from UP Govt. The new system will have the following features: -

- i. **Academic Year:** Two consecutive (one odd + one even) semesters constitute one academic year.
- ii. **Credit System (CBCS):** The CBCS provides choice for students to select from the prescribed courses (core, elective or minor or skill-based courses). Under the CBCS, the requirement for awarding a degree or diploma or certificate is prescribed in terms of number of credits to be completed by the students.
- iii. **Course:** Usually referred to, as 'papers' is a component of a programme. All courses need not to carry the same weightage. The courses should define learning objectives and learning outcomes. A course may be designed to comprise lectures/ tutorials/laboratory work/ field work/ outreach activities/ project work/ vocational training/viva/ seminars/term papers/assignments/ presentations/ self-study etc. or a combination of few of these.
- iv. **Credit Point:** It is the product of grade point and number of credits for a course.
- v. **Credit:** A unit by which the course work is measured. It determines the number of hours of instructions required per week. One credit is equivalent to one hour of teaching (lecture or tutorial) or two hours of practical work/field work per week.
- vi. **Cumulative Grade Point Average (CGPA):** It is a measure of overall cumulative

Co-ordinator
IQAC
Gandhi Faiz-e-Aam College
Shahjahanpur



PRINCIPAL
G.F. COLLEGE
SHAHJAHANPUR

Scanned with CamScanner

performance of a student over all semesters. The CCIPA is the ratio of total credit points in all the semesters. It is expressed up to two decimal places.

vii. **Grade Point:** It is a numerical weight allotted to each letter grade on a 10-point scale.

viii. **Programme:** An educational programme leading to award of a Degree, diploma or certificate.

ix. **Semester Grade Point Average (SGPA):** It is a measure of performance of work done in a semester. It is ratio of total credit points secured by a student in various courses registered in a semester and the total course credits taken during that semester. It shall be expressed up to two decimal places.

x. **Semester:** Each semester will consist of 15-18 weeks of academic work equivalent to actual teaching days. The odd semester may be scheduled from July to December and even semester from January to June.

xi. **Transcript or Grade Card or Certificate:** Based on the grades earned, a grade certificate shall be issued to all the registered students after every semester. The grade certificate will display the course details (code, title, number of credits, grade secured) along with SGPA of that semester and CGPA earned till that semester.

xii. **Selection of courses and admission process**

- The college will register on the admission portal available on university website for

confirmation of admission to any programme running in the University campus or affiliated college by depositing the requisite fee.

- Departments/ colleges will complete the admission process following pravesh niyamavali of university.

- The student have to select the faculty where admission is sought (Science/Arts/ Commerce/Management etc).

- University/ College will admit students as per availability of seats and as per eligibility.

- Student will select three major subjects out of which two major subjects will be compulsorily from the chosen faculty within the subjects available in the college and the third major subject can be from the chosen faculty or any other faculty. The college may lay down options for the third major subject if to be opted from any other faculty keeping in view subjects offered in the college and sanctioned seats.

- One minor elective paper may be chosen from own faculty or different faculty in the first four semesters (i.e. first two years of UG Program) from amongst the subjects available in the college. University/ College will allocate minor elective paper as per availability of subjects/ seats. This minor elective paper shall only be the paper of a subject and not the full subject. No pre-requisite is required for minor paper. The student has to take this paper in I or II semester in I Year and III or IV semester in II Year (i. e. one paper per year). In summary the student shall be required to study only two minor elective papers in first two years of undergraduate program.

- However out of third major and fourth minor one must be from different faculty.


Co-ordinator
IQAC
Gandhi Faiz-e-Aam College
Shahjahanpur




PRINCIPAL
G.F. COLLEGE
Scanned with CamScanner

- Each student will opt for a vocational course in the first four semesters as decided by the Principal of the college/Vice Chancellor. However, if there is a practical problem in choosing a vocational course due to non availability of such courses in the college/colleges, the students may be asked to select this course within the available on line courses at UGC, Swayam/ MOOCS portals etc after admission.
- In B.A. (Hons) / B.Sc. (Hons) as well as single subject UG programs the CBCS based new syllabus shall be implemented from session 2022-23.
- In PG the CBCS based new syllabus shall be implemented from session 2022-23.

xiii. Entry, exit and re-entry process in Undergraduate programme

- Student on completion of first year (2 semesters) of Undergraduate programme may exit from the programme with a certificate and after completion of two years (4 semesters) may exit with a Diploma.
- Student will be awarded Degree after completion of three years (6 semesters).
- Student will be allowed re-entry at the next level after exit.
- Student will be allowed conditional subject change in the second/ third year on the basis of prescribed prerequisites and availability of seats.

xiv. COURSE CREDITS DISTRIBUTION SEMESTER-WISE

New proposed year wise structure of UG/PG Programs

Year	Sem	Subject-1	Subject-2	Subject-3	paper-4	Vocational	Co-curricular	Industrial Training/Survey/Project	Credits		(Minimum/Maximum total credits after completion) (Minimum credits)
		Major	Major	Major	Minor/lective	Minor	Minor	Major	Total	Min./Max. of the Semester/Year	
		4/5/6 credits	4/5/6 credits	4/5/6 credits	4/5/6 credits	3 credits	2 credits	3/6/8 credits			
Own Faculty	Own Faculty	Own Faculty or Any Faculty	Own Faculty or other Faculty	Vocational Faculty	Co-curricular course	Inter/ Intra Faculty related to main subject	Total	Min./Max. of the Semester/Year			
1	1	Th.1(6) or Th.1(4) + Lab.1(2)	Th.1(6) or Th.1(4) + Lab.1(2)	Th.1(6) or Th.1(4)	Th.1(4/5/6)	1	1		18 + 0 + 4 + 5 + 6	23-29	(50-52) (40) Certificate in faculty

Co-ordinator
IQAC

Gandhi Faiz-e-Aam College
Shahjahanpur



PRINCIPAL
G.F. COLLEGE
SHAHJAHANPUR
Scanned with CamScanner